रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082025-265395
CG-DL-E-13082025-265395

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3588] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2025/श्रावण 22, 1947
No. 3588] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025/SHRAVANA 22, 1947

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2025

का.आ. 3680(अ).— पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम

1. भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 सितंबर, 2024 के का.आ.4259(अ) और ई-तिपहिया एल5 के संबंध में दिनांक 25 नवंबर, 2024 के का.आ.5062(अ) के माध्यम से अधिसूचित पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम में आंशिक संशोधन करते हुए, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

2. दिनांक 29 सितम्बर, 2024 के का.आ. 4259(अ) के संलग्नक IV की क्रम संख्या 3 को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

क्र.सं.	वाहन खंड	समर्थित किए जाने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या	वाहनों के लिए प्रोत्साहन*1		प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अधिकतम एक्स-फ़ैक्टरी	भारी उद्योग मंत्रालय से कुल निधि सहायता
			वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26		

					मूल्य	(₹ करोड़)
2	पंजीकृत ई-रिक्शा और ई-कार्ट	39,034	₹5,000/ किलोवाट घंटा, अधिकतम ₹25,000 प्रति वाहन तक सीमित	₹2,500/ किलोवाट घंटा, अधिकतम ₹12,500 प्रति वाहन तक सीमित	₹2.5 लाख	50*2

*1 तथापि, प्रति किलोवाट घंटा प्रोत्साहन की प्रस्तावित राशि, वाहन लागत में कमी के अनुसार समीक्षा के अधीन है तथा समय-समय पर तदनुसार अधिसूचित की जाएगी। प्रोत्साहन ऊपर निर्दिष्ट सीमा तक या ई-दुपहिया/ई-तिपहिया के एक्स-फैक्ट्री मूल्य के 15% तक, जो भी कम हो, सीमित होगा।

*2 ईएमपीएस-2024 के अंतर्गत परिव्यय को पीएम ई-ड्राइव के अंतर्गत परिव्यय में सम्मिलित कर लिया गया है।

3. दिनांक 29 सितंबर, 2024 के का.आ.4259(अ) और दिनांक 25 नवंबर, 2024 के का.आ.5062(अ) द्वारा यथासंशोधित के संलग्नक IV की क्रम संख्या 3 को निम्नानुसार और संशोधित किया जाएगा:

क्र.सं.	**वाहन खंड**	**समर्थित वाहनों की अधिकतम संख्या**		**वाहनों के लिए प्रोत्साहन*1**		**प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अधिकतम एक्स-फैक्ट्री मूल्य**	**कुल निधि सहायता (₹करोड़)**
		1 अप्रैल 2024 से 7 नवंबर 2024 तक वाहन पोर्टल पर पंजीकृत वाहन	**8 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक वाहन पोर्टल पर पंजीकृत वाहन**	**1 अप्रैल 2024 से 7 नवंबर 2024 तक वाहन पोर्टल पर पंजीकृत वाहन**	**8 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक वाहन पोर्टल पर पंजीकृत वाहन**		
3	पंजीकृत ई-तिपहिया एल5	80,546	2,08,263	₹5,000/ किलोवाट घंटा, प्रति वाहन ₹50,000 तक सीमित	₹2,500/ किलोवाट घंटा, अधिकतम ₹25,000 प्रति वाहन तक सीमित	₹5 लाख	857*2

*1 तथापि, प्रति किलोवाट घंटा प्रोत्साहन की प्रस्तावित राशि, वाहन लागत में कमी के अनुसार समीक्षा के अधीन है तथा समय-समय पर तदनुसार अधिसूचित की जाएगी। प्रोत्साहन ऊपर निर्दिष्ट सीमा तक या ई-दुपहिया/ई-तिपहिया के एक्स-फैक्ट्री मूल्य के 15% तक, जो भी कम हो, सीमित होगा।

*2 ईएमपीएस-2024 के अंतर्गत परिव्यय को पीएम ई-ड्राइव के अंतर्गत परिव्यय में सम्मिलित कर लिया गया है।

4. स्कीम अधिसूचना का.आ.4259(अ) दिनांक 29 सितंबर 2024 के पैरा 9 की तालिका 1 के क्रम संख्या 2 और 3 में, “ई-तिपहिया: पंजीकृत ई-रिक्शा और ई-कार्ट” और “ई- तिपहिया: एल5” के लिए कुल परिव्यय क्रमशः ₹50 करोड़ और ₹857 करोड़ के रूप में संशोधित किया जाएगा।

[फा. सं. 01(01)2024-एइआई (भाग-II)(29996)]

डॉ. हनीफ कुरैशी, अपर सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2025

S.O. 3680 (E).— PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme

1. In partial modification of the PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme which was notified by the Ministry of Heavy Industries vide S.O.4259(E) dated 29th September, 2024, and S.O. 5062(E) dated 25th November, 2024 regarding e-3 wheelers L5, the following amendments are made with effect from publication in the official gazette:

2. Sl. No. 2 of the Annexure-4 of S.O.4259(E) dated 29th September, 2024 shall stand amended as under :

Sl. No.	Vehicle Segment	Maximum number of vehicles to be supported	Incentive for vehicles*1		Maximum Ex-factory price to avail incentive	Total fund support from MHI (₹ crore)
			FY 2024-25	FY 2025-26		
2	Registered e-Rickshaws & e-Cart	39,034	₹5,000/ kWh, capped at ₹25,000 per vehicle	₹2,500/ kWh, capped at ₹12,500 per vehicle	₹2.5 lakh	50*2

*1 The proposed amount of incentive per kWh is, however, subject to review as per the reduction in vehicle cost and would be notified accordingly from time to time. The incentive shall be limited to as specified above or 15% of ex-factory price of e-2W/ e-3W, whichever is lower.

*2 The outlay under EMPS-2024 has been subsumed within the outlay under PM E-DRIVE.

3. Sl. No. 3 of the Annexure-4 of S.O.4259(E) dated 29th September, 2024 and as amended vide S.O. 5062(E) dated 25th November, 2024 shall further stand amended as under:

Sl. No.	Vehicle Segment	Maximum number of vehicles to be supported		Incentive for vehicles*1		Maximum Ex-factory price to avail incentive	Total Fund support (₹ crore)
		Vehicles registered on Vahan portal from 1st April 2024 to 7th November 2024	Vehicles registered on Vahan portal from 8th November 2024 to 31st March 2026	Vehicles registered on Vahan portal from 1st April 2024 to 7th November 2024	Vehicles registered on Vahan portal from 8th November 2024 to 31st March 2026		
3	Registered e-3 wheelers L5	80,546	2,08,263	₹5,000/ kWh, capped at ₹50,000 per vehicle	₹2,500/ kWh, capped at ₹25,000 per vehicle	₹5 lakh	857*2

*1 The proposed amount of incentive per kWh is, however, subject to review as per the reduction in vehicle cost and would be notified accordingly from time to time. The incentive shall be limited to as specified above or 15% of ex-factory price of e-2W/ e-3W, whichever is lower.

*2 The outlay under EMPS-2024 has been subsumed within the outlay under PM E-DRIVE.

4. At Sl. No. 2 and 3 of Table 1 of Para 9 of the Scheme notification S.O.4259(E) dated 29th September 2024, the total outlay for "e-3W: registered e-rickshaws & e-carts" and "e-3W: L5" shall stand amended as ₹50 crore and ₹857 crore, respectively.

[F. No. 01(01)2024-AEI (Part-II) (29996)]

Dr. HANIF QURESHI, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.13 14:45:38 +05'30'